

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल

क्रमांक /रीडर-2/2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/12/2016

पुलिस अधीक्षक,
दक्षिण भोपाल

बिषय :— संज्ञेय अपराध से संबंधित मामले में शिकायत पत्र न लेने व आरोपियों के लाभार्थ एफ०आई०आर०न दर्ज करने के मामले में थाना प्रभारी अशोका गार्डन के खिलाफ आवश्यक धाराओं के तहत कार्यवाही किये जाने बावत। शिकायतकर्ता कांसमास पालीमर एण्ड प्रिंटर्स गोविन्दपुरा भोपाल

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिकायतकर्ता आदित्य शर्मा, कांसमास पालीमर एण्ड प्रिंटर्स (एकमात्र जीवित भागीदार) 30 बी—एवं 31 सेक्टर आई०आई०ग्रामिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल ने शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि संज्ञेय अपराध से संबंधित मामले में शिकायत पत्र न लेने एवं आरोपियों के लाभार्थ एफ०आई०आर० न दर्ज करने के मामले में थाना प्रभारी अशोका गार्डन के खिलाफ आवश्यक धाराओं के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक शिकायत की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न पत्र है।

2/—कृपया आप शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित तथ्यों की बिन्दुवार जांच करें, एवं संबंधित के विरुद्ध शिकायत सत्य पाई जाती है तो भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाकर वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन से मुझे अवगत कराने का कृप्या कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

sdg
अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
दक्षिण भोपाल

प्र०क० ७५३ /रीडर-2/2016 भोपाल, दिनांक 13/12/2016
प्रतिलिपि :— आवेदक आदित्य शर्मा, कांसमास पालीमर एण्ड प्रिंटर्स (एकमात्र जीवित भागीदार) 30 बी—एवं 31 सेक्टर आई०आई०ग्रामिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल।

W
अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
दक्षिण भोपाल